प्रेस विज्ञप्ति
08/03/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत बादशाह माजिद मलिक, विजय सुब्बान्ना पुजारी और अन्य आरोपियों से संबंधित रुपये 72.45 करोड़ मूल्य की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने एसईजेड जोन में स्थित कंपनियों के जाली दस्तावेज जमा करके फैब्रिक ग्लू/रेडिएटर/मिश्रित रंगों जैसे माल की आड़ में लाल चंदन की तस्करी करने के लिए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की विभिन्न धाराओं के तहत किए गए अपराधों के लिए बादशाह माजिद मलिक, विजय सुब्बन्ना पुजारी और अन्य के खिलाफ राजस्व अन्वेषण निदेशालय (डीआरआई) द्वारा दायर अभियोजन शिकायत के आधार पर जांच शुरू की। ।

ईडी की जाँच से पता चला कि बादशाह माजिद मलिक 2008 से 2010 और 2014 से 2015 तक तस्करी गतिविधियों में लिप्त था और 94 करोड़ रुपये मूल्य की अपराध की आय अर्जित की। अपराध की आय का शोधन करने के उद्देश्य से, उसने मेसर्स एम्पायर इंडिया मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी की स्थापना की और आवास प्रविष्टि के माध्यम से नकदी के बदले में कई फर्जी शेल कंपनियों से शेयर पूंजी का निवेश किया। इसके बाद, इस कंपनी के माध्यम से बादशाह माजिद मलिक और उनके सहयोगियों द्वारा कई अचल संपत्तियां खरीदी गईं।

इससे पहले, दिनांक 20.12.2021 को पीएमएलए, 2002 के तहत बादशाह माजिद मलिक, विजय सुब्बान्ना पुजारी और अन्य के आवास पर एक तलाशी अभियान चलाया गया था। तलाशी की कार्रवाई के दौरान, विभिन्न आपराधिक दस्तावेजों का पता चला, जिन्होंने लाल चंदन की तस्करी में बादशाह माजिद मलिक द्वारा अपनाए गए तौर-तरीकों को साबित किया। बादशाह माजिद मलिक को 21.12.2021 को गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत में हैं।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।